पत्रांक /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः देहरादूनः जनवरी, 2012

प्रार्थना पत्र सं0 – 8274/30.11.2011

सर्वश्री संयुक्त महाप्रबंधक,
आयुध निर्माणी, रायपुर, देहरादून।

उपस्थिति– कार्यवाहक चार्जमैन श्री के.एन.पायल, सर्वश्री संयुक्त महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, रायपुर, देहरादून।

निर्णय का दिनांक– जनवरी, 2012,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

1– सर्वश्री संयुक्त महाप्रबंधक, आयुध निर्माणी, रायपुर, देहरादून एक पंजीकृत फर्म है। जिसका टिन–05000739650 है। फर्म द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक–30.11.2011 को दिया गया है। जिसमें आयुध निर्माणी, रायपुर देहरादून द्वारा संलग्न सूची के अनुसार कुल 20 प्रकार के मैटल आदि स्कैप के निष्पादन एवं बिक्री पर वैट प्रतिशत स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) देहरादून संभाग देहरादून के पत्र संख्या 3050/ज्वा0कमि0 (कार्य0)/वा0क0/धारा–57 अनु0/दे0दून/2011–12/दिनांक 30.12.2011 द्वारा विभागीय मत प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थना पत्र में कमांक 1 से 20 तक उल्लिखित वस्तुओं के सम्बन्ध में आयुक्त कर उत्तराखण्ड देहरादून के धारा–57 के अन्तर्गत पारित निर्णय संख्या–626/धारा–57/2009–10/आयु0क0उत्तरा9/वाणिज्य कर/देहरादून द्वारा सर्वश्री कोहली स्कैप ट्रेडर्स हाऊस नं0 657 शुगर मिल रोड डोइवाला देहरादून के प्रार्थना पत्र संख्या–46/2009 में दिनांक–19.05.2009 को दिया निर्णय प्रभावी होगा। जिसके अनुसार निष्प्रयोज्य सामान की श्रेणी में केवल आयरन स्कैप ही केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम 1956 की धारा–14 में घोषित वस्तु के रूप में वर्गीकृत है। अतः इस वस्तु पर 4 प्रतिशत की करदेयता है। अन्य स्कैप पर कर की देयता 13.5 प्रतिशत R.N.R रहेगी।

3– व्यापारी की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु श्री के.एस.पायल, कार्यवाहक चार्जमैन उपस्थित हुए। धारा–57 के अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

मेरे द्वारा दोनो पक्षों के मतों का अवलोकन किया गया। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत धारा–57 के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अवगत कराना है कि निष्प्रयोज्य सामान की श्रेणी में केवल आयरन स्कैप ही केन्द्रीय बिकी कर अधिनियम 1956 की धारा–14(iv) में घोषित वस्तु के रूप में वर्गीकृत है। अतः इस वस्तु पर 4 प्रतिशत की करदेयता है। अन्य स्कैप पर करदेयता उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर

धारा 57

9106
02/2/12

अधिनियम–2005 की धारा–4 की उपधारा(2)ए, क्लॉज(बी) के सब क्लॉज (i)(ई) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5(12.5+1) प्रतिशत की दर से रहेगी।

उपरोक्तानुसार धारा–57 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

आदेश की एक प्रति व्यापारी को तथा एक प्रति कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

(डा0हेमलता ढौंडियाल)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2590 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7 .ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. डिप्टी कमि0(क0नि0)–1 वाणिज्य कर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9 बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12 नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
15 कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
16 विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।